# राज्यपाल सचिवालय, बिहार

राजभवन, पटना–800022

अपीलीय प्राधिकार के समक्ष सूचना का अधिकार संबंधी अपील वाद संख्या–99 (लो0सू0अ0)/2022–23

डॉ॰ अरविन्द कुमार शर्मा, 4/ए, शकुन्तला गार्डेन, पुनाईचक, पटना

बनाम

लोक सूचना पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना

| आदेश की क्रम संख्या एवं तिथि | आदेश फलक | |
|---|---|---|
| 02.03.2023 | डॉ॰ अरविन्द कुमार शर्मा, 4/ए, शकुन्तला गार्डेन, पुनाईचक, पटना के माध्यम से एक प्रथम अपील आवेदन दिनांक–28.02.2023 इस कार्यालय में दिनांक–01.03.2023 को प्राप्त हुआ है। उक्त अपील आवेदन के साथ शुल्क के रूप में 10/- रूपए का एक पोस्टल ऑर्डर संख्या–59F 975066 दिनांक–24.01.2023 संलग्न है। इसे लेखा शाखा को हस्तगत करायें।<br>अपीलकर्त्ता डॉ॰ अरविन्द कुमार शर्मा ने अपने अपील आवेदन में यह सूचित किया है कि उनके द्वारा दिनांक–को सूचना अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन लोक सूचना पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय को दिया था, तथा आवेदन के अवलोकन से ज्ञात होता है कि लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा राज्यपाल सचिवालय के पत्रांक–22 दिनांक–31.01.2023 के माध्यम से सूचना/निर्णय प्रेषित किया जा चुका है, परंतु उक्त निर्णय/सूचना से असंतुष्ट होने के कारण अपीलार्थी ने यह प्रथम अपील अधोहस्ताक्षरी के समक्ष दायर किया है।<br>साथ ही उन्होंने उक्त अपील आवेदन के साथ प्रपत्र 'क' दिनांक–25.01.2023 की प्रति संलग्न नहीं किया है।<br>अतः लोक सूचना पदाधिकारी से उपर्युक्त प्रपत्र 'क' दिनांक–25.01.2023 से संबंधित अभिलेख की मॉग करें तथा अभिलेख पुनः सुनवाई हेतु दिनांक–15.03.2023 को उपस्थापित करें।<br>सभी संबंधित को सूचित करें।<br><br>2/3/2023<br>विशेष कार्य पदाधिकारी<br>–सह–<br>प्रथम अपीलीय प्राधिकार | |

| आदेश की क्रम संख्या एवं तिथि | आदेश फलक | |
|---|---|---|
| 15.03.2023 | दिनांक–02.03.2023 को पारित आदेश के क्रम में लोक सूचना पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय से प्रतिवेदन प्राप्त है, परंतु अपीलार्थी से प्रपत्र 'क' की छायाप्रति प्राप्त नहीं है। लोक सूचना पदाधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार अपीलार्थी द्वारा दायर प्रपत्र 'क' दिनांक–25.01.2023 के माध्यम से निम्नांकित सूचना की मॉग की गई थी:–<br><br>*"बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 यथा अद्यतन संशोधित की धारा–12A (i) में अंकित प्रावधान निम्नवत है:– The financial Adviser shall be a whole time officer. He shall be appointed by the Chancellor either on deputation or by re-employement from amonst the officers of the Indian Audit and Accouts Services or from any other Accounts Service of Government of India. Until such an officer is appointed the present incumbent may continue to work as the Financial Adviser. उक्त प्रावधान के अधीन, मगध विश्वविद्यालय, बोधगया में वित्तीय परामर्शी के पद पर, श्री मधुसूदन की नियुक्ति राज्यपाल सचिवालय द्वारा किये जाने की सूचना है। वित्तीय परामर्शी बोधगया के स्वीकृत तथा रिक्त पद पर किये जाने हेतु श्री मधुसूदन के द्वारा राजभवन, पटना को प्राप्त कराये गये प्रमाणिक कागजात, जिसके आधार पर उनकी नियुक्ति की गयी थी, कि अभिप्रमाणित छायाप्रतियॉ सूचना प्राप्त करने से संबंधित अधिनियम यथा सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 में अंकित प्रावधानों के अधीन उपलब्ध कराये जाने की कृपा की जाए"।*<br><br>उपर्युक्त के क्रम में लोक सूचना पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय ने अपने पत्रांक–आर०टी०आई० / बी०एस०यू०–13 / 2023–22 / रा०स० (I) दिनांक–31.01.2023 के माध्यम से निम्नांकित निर्णय संसूचित किया:–<br><br>*"आपके द्वारा वांछित सूचनाएँ / अभिलेख लोक सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–8 (1)(e), 8 (1) (j) के अन्तर्गत नहीं दी जा सकती साथ ही वांछित सूचनाएँ / अभिलेख के प्रकटीकरण से किसी लोकहित (Public Intrest) का समर्थन होता हुआ प्रतीत नहीं होता है"।*<br><br>विदित हो कि अपीलार्थी ने उपर्युक्त निर्णय से असंतुष्ट होते हुए यह अपील अधोहस्ताक्षरी के समक्ष दायर किया है। उन्होंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा R.K. Jain V/S Union of India (2009) 8 SCC 273 के मामले में दिए गए न्यायादेश "न्यायादेश को उद्धत किया जा रहा है, Any | |

Information sought by the Application in which third party information is asked. wherein third party may plead a privacy defense and the proper question would be as to whether divulging of such an information is in the public interest or not. whether the private defense is to prevail or there is an element of overriding public interest which would outweigh the private defense. The authority may take any decision but consideration is always given to public interest" को उल्लिखित करते हुए सेवानिवृत कर्मी को नई नियुक्ति के पश्चात उनके बायोडाटा की मॉग की है।

उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में लोक सूचना पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय को यह निदेश दिया जाता है कि वे नियुक्ति के समय में श्री मधुसूदन द्वारा दिए गए बायोडाटा को अपीलार्थी को आदेश प्राप्ति के एक पक्ष के अंदर उपलब्ध करा दें, परंतु उनके द्वारा समर्पित शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य व्यक्तिगत कागजात को उपलब्ध कराये जाने के तत्काल आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है, चूंकि इससे कोई लोक हित जुड़ा हुआ प्रतीत नहीं होता है।

तदनुसार सभी संबंधित को सूचित करें।

15/3/2023

**विशेष कार्य पदाधिकारी**

**—सह—**

**प्रथम अपीलीय प्राधिकार**